तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 64/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/651) बअनवान रिड़मलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

प्रथम लिंक अधिकारी

रिड़मलसिंह व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर इत्यादि

उपस्थित

1. श्री छैल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री हरिराम चौधरी ,राजकीय अधिवक्ता–रेस्पोडेंट्स

आदेश

दिनांक 14 जनवरी 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2025 अनवान रिड़मलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 जुलाई 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा कीता तहसील फतेहगढ़ के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 7.5318 हेक्टेयर, खसरा संख्या 290 रकबा 42.5210 हेक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 3.0580 हेक्टेयर व खसरा संख्या 747 रकबा 8.0738 हेक्टेयर अपीलांट्स को अपने पूर्वजो से प्राप्त खुद काश्त की भूमि है। मौजुदा भू–पैमाईश के समय अपीलाधीन आराजी पर अपीलान्टगण के पुर्व पुरूष स्व. देवीदानसिंह के कब्जे काश्त की होना वक्त भू–प्रबंध के रैकर्ड की प्रविष्टियों से साबित है। भू–प्रबंध के रेकर्ड में अपीलान्टगण को अतिक्रमी बताया गया है तथा अपीलाधीन आराजी के रकबा में फसल बोई होना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण सवंत 2022 जब नियमित भू–प्रबंध हुआ, तब से पूर्व से ही अपीलाधिन आराजी पर काबिज थे। मौजुदा अपीलाधीन आराजी के नवीन खसरे, पुराने किन नम्बरो से बने है, ऐसा कोई रेकर्ड मौजुदा भू–प्रबन्ध विभाग ने संधारित नही किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के माफिक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को जो व्यक्ति बहैसियत जिस भूमि पर काबिज है, वह उस भूमि का खातेदार है। अपीलान्टगण के पूर्वज, जिनसे अपीलाधीन आराजी अपीलान्टगण को विरासत में प्राप्त हुई, अपीलान्टगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है। स्थायी भु–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिल्कुल गलत रूप से अपीलान्टगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी को काट कर नये खसरा नम्बर 21 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 290 रकबा 262.16

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 18.18 बीघा, खसरा नम्बर 444 रकबा 30.10 बीघा, खसरा नम्बर 747 रकबा 49.18 बीघा कुल रकबा 408.13 बीघा ग्राम कीता तहसील फतेहगढ़ कायम कर सिवाय चक दर्ज कर दिया। अपीलांट्स की ओर से वादग्रस्त आराजीयात को अपनी खातेदारी में घोषित करवाने हेतु विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपुरणीय क्षति को अपने पक्ष में साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में भी मौके पर अपीलांट्स की रहवासी ढाणीया, झौपड़े, कमरे, पानी के टांके आदि बने हुऐ है। रेस्पोडेन्टगण ने अपीलाधीन आराजी में अपीलान्टगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी कर रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2025 की जानकारी उनके वकील साहब द्वारा नही दी गई। दिनांक 14.08.2025 को वकील साहब से मिल कर पुछने पर उक्त निर्णय की जानकारी दी गई, जिस पर सम्यक तत्परता से अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 14.08.2025 को ही नकले माँगी गई जो नकले तैयार होकर अपीलांट को उसी दिन दिनांक 17.08.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार नकलें मिलने की तारीख से हस्तगत अपील अन्दर मयाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 30 जुलाई 2025 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। अपीलांट्स की वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी से अधिक हैसियत नहीं है। अपीलांट्स राजकीय भूमि के संबंध में खातेदारी प्राप्त करने का हकदार नहीं है। कानूनन राजकीय भूमि के संबंध में अपीलांट के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। वक्त आदेश अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 64/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/651) बअनवान रिड़मलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कीता तहसील फतहगढ के खाता संख्या 01 में दर्ज राजकीय भूमियॉ है जो वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। अपीलांट द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजात के राजकीय भूमियों के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुंतोष चाहा गया है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में एवं अतिक्रमी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट राजकीय भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं ठहरता है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में नहीं पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2025 अनवान रिड़मलसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 जुलाई 2025 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रथमपीठासीन अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर